दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी. नं. 12/2025/पीबी-I

डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक (वित्त) (7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12) का 01 पद भरना

डीडीए द्वारा निदेशक (वित्त) (7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12) के 01 पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और अन्य निबंधन व शर्तें निम्नानुसार होंगी:

निदेशक (वित्त) के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड :

भारतीय लागत लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा/भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा या भारत सरकार की अन्य संगठित लेखा सेवा से संबंधित अधिकारी जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 में सदृश पद धारण करते हों।

सामान्य शर्तें :

1. प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे साल-दर-साल आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेक पर प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक/विस्तारित अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
2. प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.06.2010 तथा समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार संचालित होंगी।
3. अभ्यर्थी को अपने मूल विभाग/संगठन में कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के भाग के रूप में ''नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन'' को डीडीए को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
4. पदों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के आधार पर परिवर्तन के अधीन है।
5. इच्छुक और पात्र अधिकारी जिन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है, उनके आवेदन को संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कैडर अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति, विधिवत प्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित प्रारूप में विस्तृत बायोडाटा, पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए छोटे और बड़े दंडों का विवरण और पिछले 05 वर्षों के सी.आर. डोजियर के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।
6. आवेदक द्वारा आवेदन में मूल विभाग में मूल पद का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा 6ठे और 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के वेतनमान के अनुरूप उनके द्वारा धारित पद का मूल वेतन भी होना चाहिए। एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के विवरण का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
7. आवेदकों के कैडर पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का स्तर भूतपूर्व कैडर पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए।
8. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
9. अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूर्णतः स्थानांतरण पर तैनात किया जाएगा तथा आमेलन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. आवेदक की पात्रता डीडीए में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर निर्धारित की जाएगी।
11. सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र **आयुक्त (कार्मिक) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई-1, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023** में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि **14.07.2025** तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिएँ। अपूर्ण/देरी से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें फॉलो करें ddaofficial official_dda official_dda_

'कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें अथवा 1800110332 डायल करें'